

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



प्रकार

पत्रांक : 01 / यो0ब0-22 / 2019-949 दिनांक : 30/9/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची/लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा/गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा/साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा/बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “सिल्विकल्वरल ऑपरेशन” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य, बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्य तथा नदियों के उदगम स्थल को संरक्षित करने हेतु वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु ₹0 359.439 (तीन करोड़ उनसठ लाख तैंतालीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-29 / 2019-12 / स्वी0 व0प0 दिनांक 27.06.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट-29 / 2019-65 / आ0 व0प0 दिनांक 05.07.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्वर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल ₹0 359.439 (तीन करोड़ उनसठ लाख तैंतालीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101400103	280.581
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101400323	78.858
कुल :-		359.439

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1(क) से 1(ग) पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2(क) एवं 2(ख) पर, स्थल विवरणी अनुलग्नक-3(क) से 3(ग) पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601101400103 एवं 19S240601101400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरू करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल—मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हेठो लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।

6. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूँटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजनाओं तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

8. इस योजना में प्राकृतिक रूप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमंडलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमंडल के वनों का Density wise वर्गीकरण है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते हैं। इन स्थलों के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।

9. वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची द्वारा विभिन्न मॉडल द्वारा बौंस वनों का सघनता (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्यों के प्रभाव का तुलनात्मक शोध अध्ययन किया गया है, जिसकी Soft copy इस पत्र के साथ संलग्न है। बौंस वनों में कंजेशन हटाने एवं वन वर्द्धन कार्य शोध में वर्णित Model-III के अनुसार ही किया जायेगा। इस मॉडल पर कार्य करते समय यदि कोई कठिनाई आए तो मुख्य वन संरक्षक, शोध से संपर्क कर मार्ग निदेश माँगा जा सकता है।

10. Silviculture operation की योजना के अंतर्गत बौंस बखार की सफाई के लिए व्यय हेतु एक हेठो में 200 बखार की संख्या मानक मानी गई है एवं उसी अनुरूप राशि का व्यय किये जायेंगे।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

12. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

13. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

14. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इस योजनान्तर्गत कुल व्यय प्राक्कलन के अधीन होगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

16. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

19. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

20. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।


21. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation

ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

22. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक—3542, दिनांक—19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।


विश्वासभाजन,

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबो—22 / 2019— १५१ दिनांक— ३०/११/१९

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / दुमका / हजारीबाग / बोकारो / जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / गुमला / दुमका / हजारीबाग / चतरा / बोकारो / गिरिडीह / जमशेदपुर / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :— यथोक्त ।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबो—22 / 2019— १५१ दिनांक— ३/११/१९

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / लोहरदगा / गोड्डा / साहेबगंज / कोडरमा / हजारीबाग / चतरा / बोकारो / गिरिडीह / सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारोपण अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	2019-20 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			32477.90	13243.14	45721.04
<b>जमशोदपुर रीजन</b>					
1	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	54	17.538	7.151	24.689
<b>योग:-</b>		<b>54</b>	<b>17.538</b>	<b>7.151</b>	<b>24.689</b>

प्रधान मुख्य वर्ज संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, रौची।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु 249.83 प्रति मानव दिवस)

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेठ०)	2019-20 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं साप्रग्री	कुल
			23983.68	1700.00	25683.68
<b>राँची रीजन</b>					
/1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	120	28.780	2.040	30.820
/2	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	150	35.975	2.550	38.525
	योग	270	64.755	4.590	69.345
<b>दुमका रीजन</b>					
3	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	75	17.988	1.275	19.263
4	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	50	11.992	0.850	12.842
	योग	125	29.980	2.125	32.105
<b>हजारीबाग रीजन</b>					
5	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	35	8.394	0.595	8.989
	योग	35	8.394	0.595	8.989
<b>बोकारो रीजन</b>					
6	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	10	2.398	0.170	2.568
	योग	10	2.398	0.170	2.568
	सकल योग:-	440	105.527	7.480	113.007

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत नदियों के उदगम स्थल को संरक्षित करने हेतु वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक

पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेठले वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु 249.83 प्रति मानव दिवस)

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	नदी एवं उसके उदगम स्थल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेठो)	2019-20 (अग्रिम कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				32477.90	13243.14	45721.04
<b>दुमका रीजन</b>						
1	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	बाँझी (मोतीझरना नदी)	50	16.239	6.621	22.860
	योग:-		50	16.239	6.621	22.860
<b>हजारीबाग रीजन</b>						
2	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	नीरी (नीरी नदी)	50	16.239	6.621	22.860
	योग:-		50	16.239	6.621	22.860
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	बेलगढ़ा (फलगु नदी)	50	16.239	6.621	22.860
		घाघरा (गरी नदी)	50	16.239	6.621	22.860
		सरगाँव (पुरैनी नदी)	40	12.991	5.297	18.288
	योग:-		140	45.469	18.539	64.008
<b>बोकारो रीजन</b>						
4	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	मानजोरी बहादूरपुर (जयन्ती नदी)	100	32.478	13.243	45.721
		गौरीपुर (सकरी नदी)	25	8.119	3.311	11.430
		धावाटांड (सकरी नदी)	25	8.119	3.311	11.430
		जमुनियांचुवां, भवनपुर, महेशपुर, कमलासिंधा, केन्दुआडीह (हरकटवा नदी)	25	8.119	3.311	11.430
		योग:-	175	56.835	23.176	80.011
<b>राँची रीजन</b>						
5	राँची वन प्रमण्डल, राँची	चतरा (राढ़ू नदी)	70	22.734	9.270	32.004
	योग:-		70	22.734	9.270	32.004
	सकल योग:-		485	157.516	64.227	221.743

प्रधान मर्यादा संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

## योजना का नाम : सिल्विकल्यरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले बन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) :

249.83

कार्य दर प्रति हेठो

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2019-20 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 249.83							
1 सर्वेक्षण एवं सीमांकन		हेठो	3	749.49	0.00	749.49	
2 कटबेक / कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग, along with debris removal आदि (All live stumps should be touched)		हेठो	30	7494.90	0.00	7494.90	इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों को करने से पूर्व एवं कार्य संपादित करने के पश्चात् संपूर्ण स्थल की विडीयोग्राफी / फोटोग्राफी अवश्य कराई जाय।
3 न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर बन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रैच घेरान अथवा पत्थर घेरान किया जायेगा। (i) ट्रैच घेरान— ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी0, गहराई 1.22 मी0, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान— ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी, ऊँचाई 1.00 मी0 (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हेठो औसतन 6 चेन	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हेठो ट्रैच घेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु वास्तविक स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त ट्रैच बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों का वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि Live Hedge/Fence तैयार हो सके।	
4 मृदा कार्य ( $0.45 \text{ मी.} \times 0.45 \text{ मी.} \times 0.45 \text{ मी.}$ ) 0.091 क्यू० मी० अधिकतम 200 पीट प्रति हेठो (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)		हेठो	20	4996.60	0.00	4996.60	औसतन 200 पौधे प्रति हेठो रोपण के लिए। वन्य जीव क्षेत्रों में पृष्ठतः वन्य जीवों के पर्यावास के विकास के अनुकूल प्रजाति के।
5 मृदा एवं जल संरक्षण कार्य — कंटूर ट्रैच — 50, कंटूर साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी कम से कम 2 मीटर ढलान के कोण के अनुसार हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोडनी कर रखा जाना।			40	9993.20	500.00	10493.20	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रैच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रैच के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6 गली प्लगिंग		हेठो	6	1498.98	0.00	1498.98	नोट देखें
7 सिल्ट डिटेन्शन डेम, चैक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि		हेठो	15	3747.45		3747.45	नोट देखें
8 स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।			2	499.66	960.40	1460.06	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी।
9 बनों की सुरक्षा			2.00	499.66	0.00	499.66	
	योग—		130.00	32477.90	13243.14	45721.04	

नोट:-

- प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राककलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किए जायेंगे।
- इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2 (ख)

“सिल्वीकल्वर ऑपरेशन योजना” के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन-वर्द्धन के कार्यों की दर तालिका

मजदूरी दर - 249.83 रु

प्रति 200 बाँस बखार (मानक संख्या प्रति हेठो)

(राशि रूपये में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	अम्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2019-20 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु 249.83					
1	सर्वे, सीमांकन एवं बखार का नंबरिंग	3	749.49	0.00	749.49	
2	बाँस बखारों (Clumps) की सफाई एवं Silviculturally available बाँसों का विदोहन कार्य (200 बखार प्रति हेठो की मानक संख्या से)	40	9993.20	200.00	10193.20	बड़े बाँस बखारों के सुगम विकास हेतु आवश्यकतानुसार बखार को दो या अधिक भाग में विभक्त करना।
3	वनों में आंतरिक अग्नि रेखा की सफाई, 5 मीटर चौड़ा (प्रत्येक 250 मीटर पर) एवं स्थल से सफाई किए गए बांसों को हटाना	10	2498.30	0.00	2498.30	
4	बखारों के चारों ओर 1.5 फीट गोलाई में निकोनी एवं मिट्टी को हल्का करना तथा खाद डालना	20	4996.60	1500.00	6496.60	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
5	राइजोम प्रिजरवेशन हेतु बखारों में कोड़नी/निकोनी क्षेत्र के बाहर 1 फीट गोलाई में मिट्टी लेकर बखारों पर चढ़ाना	20	4996.60	0.00	4996.60	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
6	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	3	749.49	0.00	749.49	सफाई के दौरान निकले राइजोम को उन खाली स्थलों पर लगाना, जहाँ बाँस बखारों की संख्या 200 प्रति हेठो से कम है।
	कुल	96	23983.68	1700.00	25683.68	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

~

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कार्यान्वयन की जाने वाली "सेल्वीकल्पना औपरेशन योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत वर्षों का संबद्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं जू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेठला वृक्षारेपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र० सं०	वन प्रमङ्गल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	आना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑडिनेट	लॉट नंबर	झेत्रफल (हेठल में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
<b>जमशेदपुर रीजन</b>									
1	सरायकेला वन प्रमङ्गल, सरायकेला	चापिडल	चापिडल		पोरका	चापिडल-158	N 22° 57'54.09" E 085° 54'11"	1443, 1576, 1630, 1631, 1632, 1633, 1635, 1648	54
जमशेदपुर रीजन का कुल यान									
									54

प्रधान मुख्य सरकार, विकास,  
शारखण्ड, रोंची

~

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक कार्यनित की जाने वाली “सिल्विकल्वरल ऑपरेशन पोजिना” (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन-वर्द्धन कार्य का स्थल विवरणी

हटाना एवं वन-बद्धन कार्य का स्थल विवरणी


क्र० सं	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं	जीवी०एस० को-ऑडिनेर	प्लॉट नंबर	झोताल (हि० मे०)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
1	रौची वन प्रमंडल, रौची	रौची परिचमी वन क्षेत्र, काँके	मारवा, पी०एफ०	रौची-14	मारवा, पी०एफ०	N 23° 31'13.23" E 85° 14'11.85"	1, 2, 10, 94, 100, 1102, 94	100	100
2	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	बनारी	लंगडाटांड	विशुनपुर-23	लंगडाटांड	N 23° 25'32.09" E 84° 17'43.59"	235P	50	50
3	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	बनारी	रांगे	विशुनपुर-22	रांगे	N 23° 27'23.04" E 84° 15'03.25"	697P	50	50
4	साहेबगांज वन प्रमंडल, साहेबगांज	गोड्डा	जन्मुआ	गोड्डे-516	जन्मुआ	906	20	20	20
5	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	पोडेयाहाट	मुरलीडीह पांडुबथान	गोड्डे-523, 524	मुरलीडीह पांडुबथान	341P, 332P, 1587	289P, 138P, 192P, 4P/951, 301	55	55
6	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	राजमहल दामिन प्रक्षेत्र, तालझरी	लखीपुर	तालझारी-15	लखीपुर	82, 176, 194	50	50	50
		गझण्डी	कोडरमा	मेघातरी	कोडरमा-237	N 24° 29.377 E 85° 28.614	3, 5	35	35
		चास वन प्रक्षेत्र	चान्दनकियारी	कुमुमध्यारी	कुमुमध्यारी	चान्दनकियारी-265	गोग.-	10	10
		चास वन प्रक्षेत्र	चान्दनकियारी	कुमुमध्यारी	कुमुमध्यारी	चान्दनकियारी-265	गोग.-	440	440

प्रधान मुख्य वा संस्करक, विकास  
झारखण्ड, रौची

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक कार्यान्वित की जाने वाली “सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना” (अन्य व्यय) के अंतर्गत नदियों के उद्गम स्थल को संरक्षित करने हेतु वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेठला वृक्षारेपण कार्य का

### स्थल विवरणी

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	नदी एवं उसके उद्गम स्थल का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	आना/ आना सं०	जी०पी०एस० को-ऑफिसे	स्टॉट नंबर	झेफल (हेठल मे)
i	ii	iii	v	iv	vi	vii	viii	ix	x
1	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	राजमहल दामिन प्रदेश, तालझारी	बाँझी (मोतीझरा नदी)	तालझारी	फूलजोरी	तालझारी-11	8	124, 132	45
2	हजारीबाग परियमी वन प्रमंडल,	बड़कानाव	नीरी (नीरी नदी)	केलेझरी	नीरी	बड़कानाव-68		318, 319, 322P	50
3	चतरा दहिणी वन प्रमंडल, चतरा	सिमरिया दामिन प्रक्षेत्र लावलोग प्रक्षेत्र	बेलगड़ा (फलुं नदी) घाघरा (गर्ती नदी) सरगाव	बेलगड़ा-2 टाङ्डवा इटखोरी	धाधरा सरगाव	सिमरिया-135 टाङ्डवा-35 इटखोरी-130	1343, 1421 23, 27, 28, 48, 50 457,458P,456P,455P	50 50 40	140
4	निरिडीह पूर्ण वन प्रमंडल, निरिडीह	सुरुद्वा गावं	मानजोरी बहादूरपुर (जयन्ती नदी) गोरेपुर (सिकरी नदी) धावटांड (सिकरी नदी) पारसनाथ	बहादूरपुर कम्बाटांड गोरेपुर धावटांड जमुनियांखा, भवनपुर, केन्द्रआडीह (हरकटवा नदी)	बेगाहाट-357 कम्बाटांड-421 देवरी-132 गावं-119 पीरटांड-132	गायडेह-421 गावं-25 गावं-25	100 25 25		175
5	राँची वन प्रमंडल, राँची	राँची पूर्ण वन क्षेत्र, महिनैग	चतरा (भूरं नदी)	उलाट पी०एफ०	खिजरी-339	N 23° 18' 14.9" E 85° 26' 53.3"	3772, 4033	70	485
सकल योग									

  
 प्रधान मुख्यमन्त्री के नाम संरक्षक, विकास,  
 जारखण्ड, राँची





राजस्व भवन

आवंटन आदेशझारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-22/2019/949

दिनांक -

30-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64178	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	5,151,400.00 रुपये इकावन लाख इकावन हजार चार सौ
2	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64179	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIVFOREST OFFICER	3,597,500.00 रुपये पैतीस लाख सितानवे हजार पाँच सौ
3	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64180	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	1,798,800.00 रुपये स त्र ह लाख अठानवे हजार आठ सौ

10,547,700.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये एक करोड़ पाँच लाख सैतालीस हजार सात सौ

(SPL VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64181	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	2,823,100.00
5	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64182	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	839,400.00
6	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64183	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	1,623,900.00
<b>योग:</b>				5,286,400.00
<b>क्रमिक योग:</b>				15,834,100.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101400103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64184	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	4,546,900.00
8	S 19 240601101400103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64185	BKRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY D.F.O. BOKARO	239,800.00
9	S 19 240601101400103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64186	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	5,683,500.00
<b>योग:</b> क्रमिक योग:				10,470,200.00
रुपये दो करोड तीरसठ लाख चार हजार तीन सौ				26,304,300.00
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI				
Page 3 of 7      164.100.151.249      Date: 30/9/2019				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64187	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	1,753,800.00 रुपये स त्र ह लाख तीरपन हजार आठ सौ
11	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64188	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA	1,131,000.00 रुपये ग्यारह लाख इकतीस हजार
12	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64189	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	255,000.00 रुपये दो लाख पचपन हजार
<b>योग:</b>				3,139,800.00
<b>क्रमिक योग:</b>				29,444,100.00
<p style="text-align: center;">रुपये दो करोड चौरानवे लाख चवालीस हजार एक सौ</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)</p> <p style="text-align: center;">PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI</p>				
Page 4 of 7      164.100.151.249      Date: 30/9/2019				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64190	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	127,500.00 रुपये एक लाख सत्ताइस हजार पौंच सौ
14	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64191	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	747,100.00 रुपये सात लाख सैतालीस हजार एक सौ
15	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64192	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	59,500.00 रुपये उनसठ हजार पौंच सौ
<b>योग:</b> 934,100.00				
<b>क्रमिक योग:</b> 30,378,200.00				
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI				
Page 5 of 7				
164.100.151.249				
R In Date: 30/9/2019				

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64193	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	662,100.00 रुपये छ: लाख बासठ हजार एक सौ
17	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64194	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	1,853,900.00 रुपये अठारह लाख तीरपन हजार नौ सौ
18	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	64195	BKRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY D F O, BOKARO	17,000.00 रुपये स त्र ह हजार
<b>योग:</b>				2,533,000.00
<b>क्रमिक योग:</b>				32,911,200.00
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI				
Page 6 of 7				
164.100.151.249				
N				
Print Date: 30/9/2019				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601101400323	64196	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	2,317,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA		रुपये तेहस लाख स त्र ह हजार छ: सौ	
20	S 19 240601101400323	64197	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D.F.O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	715,100.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA		रुपये सात लाख पंद्रह हजार एक सौ	
				3,032,700.00
योग:				35,943,900.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड उनसठ लाख तीरयालीस हजार नौ सौ		(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)	PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI
Page 7 of 7	164,100,151,249	/	Print Date:	30/9/2019